राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति

अंक-4, संशोधन-5, फरवरी 2018

राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति
अंक-4, संशोधन-**5**, फरवरी, 201**8**

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	3-5
2.	राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति	6-7
3.	संगठनात्मक संरचना	8-12
4.	वित्तीय बजट तथा व्यय नियंत्रण	13-14
5.	सीएसआर गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र	15-17
6.	परियोजनाओं एवं निष्पादन एजेंसियों के चयन के लिए दिशानिर्देश	18-19
7.	सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए कार्यान्वयन एवं नियंत्रण	20-21
8.	प्रभाव आकलन एवं लाभार्थियों से फीडबैक	22-23
9.	कार्य-निष्पादन की रिपोर्टिंग	24
10.	कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण	25-26
11.	संदर्भ	27
अनुलग्नक - I मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट		28
अनुलग्नक - II सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट		29
अनुलग्नक - III निष्पादन संकेतक		30-32
अनुलग्नक - IV सीएसआर के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण		33-37

1. प्रस्तावना

1.1 राइट्स लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसे भारतीय रेल के तत्वावधान में 1974 में स्थापित किया गया था. राइट्स को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा यह एक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है, जिसमें इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं. राइट्स लिमिटेड, एक आईएसओ 9001-2008 कंपनी परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहु-विद्या परामर्शी संगठन है. यह एक ही मंच से विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है और ग्राहक संगठनों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में विश्वास रखता है. विदेशी परियोजनाओं में, राइट्स सक्रियता से स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से और अपनी विशेषज्ञता साझा करने के एक प्रभावी साधन के रूप में स्थानीय सलाहकारों / फर्मों के साथ सहकारी संबंधों को सक्रिय रूप से स्थापित करता है और विकसित करता है.

राइट्स को अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व एवं लैटिन अमेरिका के 62 देशों में परिचालन अनुभव के साथ अग्रणीय परामर्शदाता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है. राइट्स के विदेशी कार्यों में अधिकतर राष्ट्रीय सरकारों तथा अन्य प्रमुख संगठनों के हैं.

कई वर्षों से राइट्स, देश में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन अवसंरचना परामर्शी कंपनियों में एक अग्रणी कंपनी के रूप में, परिवहन एवं अवसंरचना क्षेत्रों जैसे- रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, जलमार्गों, रोपवेज, शहरी परिवहन, शहरी इंजीनियरिंग, कनटेनर डिपो, संस्थागत भवनों, पॉवर ट्रांसमिशन तथा रेलवे विद्युतीकरण आदि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. राइट्स ने अंततः परियोजनाओं के कुशल और आर्थिक कार्यान्वयन के लिए अवधारणा से लेकर स्थापना तक बहुआयामी सेवाओं को प्रदान करने में विविधता हासिल की है.

1.2 राइट्स ने देश में मेट्रो रेल नेटवर्क के विकास में अहम भूमिका निभाई है तथा यह शहरी परिवहन एवं शहरी विकास परियोजनाओं में विभिन्न राज्य/ केंद्रीय सरकारी विभागों को परामर्श दे रही है.

1.3 राइट्स ने निर्माण प्रबंधन परियोजनाओं, ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को हाथ में लेते हुए दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों तथा कम शुल्क पर दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करते हुए समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पेशेवर सत्यनिष्ठा एवं समग्र पारदर्शिता राइट्स के निगमित शासन के पालन का हॉलमार्क है. राइट्स वेबसाइट में नियमित रूप से टेंडरों की सूचना, दिए गए ठेकों, कार्य के प्रारंभ तथा सामग्रियों की निरीक्षण स्थिति आदि देने के अलावा कंपनी की व्यापक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं. राइट्स सस्टेनेबल

विकास कार्यों को बढ़ावा देती है तथा अपने सभी अध्ययनों, जांचों, डिजाइनों एवं डीपीआर में सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं तथा उनके प्रभावों पर पूरा ध्यान देती है.

1.4 अप्रैल, 2010 में पहली दीर्घावधि सीएसआर योजना के बाद नवंबर, 2011 में सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी दस्तावेजों को शामिल करते हुए सीएसआर पॉलिसी के अंक 01 का राइट्स के निदेशक मंडल ने अनुमोदन प्रदान किया. 01 जनवरी, 2013 (01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी) की डीपीई दिशानिर्देशों के संशोधन को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी, 2013 को आयोजित 201वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा सैद्धांतिक रूप से राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी के अंक 02 का अनुमोदन प्रदान किया. सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी का अंक 03, 27 सितंबर, 2013 को आयोजित सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी की बैठक में बोर्ड स्तरीय समिति की सिफारिशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है.

1.4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 तथा धारा 469 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप अंक 4 को जून, 2014 में संशोधन किया गया है. इसे 30 मई, 2014 को आयोजित सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी की बैठक में बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया.

1.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18 जून, 2014, 06 अगस्त, 2014 एवं 24 अक्तूबर, 2014 के अनुरूप अंक 4, संशोधन 1 को जून, 2014 में संशोधन किया गया है.

1.4.3 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 15 (13)/2013-डीपीई(जीएम) तथा प्रधान मंत्री कार्यालय सं. पीएमओ आईडी सं. 82(10350)/2013-पीएमएफ दिनांक 17.09.2014 के पत्र के अनुरूप अंक 4, संशोधन 2 को मार्च, 2015 में संशोधित किया गया.

1.4.4 सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के गठन में परिवर्तन तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल स्ट्रक्चर में परिवर्तन के अनुरूप अंक 4, संशोधन 3 को अगस्त, 2015 में संशोधित किया गया.

1.4.5 सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के गठन में परिवर्तन के अनुरूप अंक 4, संशोधन 4 अगस्त, 2016 में संशोधित किया गया. इस पर बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 3 जून, 2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया.

1.4.6 लेखा ज्ञापन सं-पीडीए-आरसी-आरपीएसयू/राइट्स/2016-17/1 दिनांक 20.09.2017 द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व 2016-17 के सीएजी लेखा-परीक्षा के अनुरूप अंक 4, संशोधन 5, फरवरी, 2018 में संशोधित किया गया. इस पर बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया.

2. राइट्स सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी नीति

2.1 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटी नीति को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सस्टेनेबल तरीके से, जो पारदर्शी तथा नैतिक है, संचालित करना हमारी वचनबद्धता है. इससे स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं का पता लगाने में मदद मिलती है. स्टेकहोल्डरों में कर्मचारी, शेयरहोल्डर, निवेशक, ग्राहक, कारोबारी सहयोगी, सिविल सोसायटी समूह, केंद्र/ राज्य/ स्थानीय सरकार, समुदाय, पर्यावरण एवं समग्र रूप में समाज शामिल है.

2.2 राइट्स समाज के सस्टेनेबल विकास की आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान उपलब्ध कराने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी विषयों को एकीकृत करने की दिशा में काम करने का प्रयास करेगा:

2.2.1 कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कार्यसूची के कार्यान्वयन और नैतिक कारोबार प्रचलनों को अपनाने की आवश्यकता तथा कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति, कार्यक्रम एवं पहल के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता को बढ़ाना.

2.2.2 परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, जांच तथा विस्तृत डिजाइन एवं डीपीआर सहित सभी गतिविधियों के सस्टेनेबल विकास तथा सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं तथा इसके प्रभावों के कार्यों को बढ़ावा देना.

2.2.3 अक्षय ऊर्जा संसाधनों जैसे सोलर, विंड, बायोमास एवं अन्य के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा इसके कार्बन, पानी तथा वेस्ट फुट प्रिंटों को कम करना.

2.2.4 आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं को लेने के लिए स्टेकहोल्डरों को साथ लेकर चलना जो कंपनी कार्यालयों/परियोजनाओं तथा इसके आसपास तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता को प्रोत्साहित करेगी तथा कनेक्टीविटी/मोबिलिटी, दक्षताएं उपलब्ध कराएगी तथा प्राकृतिक स्थानों, जल संसाधनों, फलोरा एवं फोना, हरियाली, पर्यावरण, विरासत तथा संस्कृति को संरक्षित करेगी.

2.2.5 कंपनी के सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी निष्पादन की नियमित रिर्पोटिंग.

2.2.6 निगमित शासन के सर्वोच्च मानकों तथा सर्वोत्तम प्रबंधन प्रचलनों को अपनाते हुए कंपनी की ब्रैंड वैल्यू का सृजन एवं उसे बढ़ाना तथा अपने कारोबारी विशेषज्ञता समुदाय एवं समाज की भलाई के लिए उपयोग करना.

2.3 यह नीति कंपनी के कॉरपोरेट मिशन के अनुसार है.

2.4 सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम (2013 का 18) की धारा 467 की उप धारा (1) की अनुसूची VII में उल्लिखित के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है.

3. संगठनात्मक संरचना

3.1 एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए और इस संबंध में उपयुक्त नीतियों और रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता के लिए गठित की गई है.

3.2 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति का पुनर्गठन दिनांक 03 जून, 2016 को किया गया.

3.2.1 वर्तमान में समिति के सदस्यः

श्री सतीश सरीन	: स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष सीएसआर समिति
डा. विद्या राजीव यरावदेकर	: स्वतंत्र निदेशक
श्री अनिल कुमार गोयल	: स्वतंत्र निदेशक,
श्री ए.पी.द्विवेदी	: सरकार द्वारा मनोनित निदेशक
श्री अजय गौड़	: निदेशक वित्त/ राइट्स

3.2.2 सीएसआर बोर्ड स्तर बैठक/बैठकों के लिए कोरम दो व्यक्तियों का होगा.

3.3 एक वरिष्ठ कार्यकारी तथा नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित के नेतृत्व में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सैल द्वारा बोर्ड स्तर समिति को सहायता प्रदान की जाएगी जो कंपनी के सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल की नीति, रणनीति, प्रगति/कार्यनिष्पादन की जानकारी संचार पर विभिन्न एसबीयू एवं प्रभागों के साथ समन्वय करेगा.

राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल संरचना

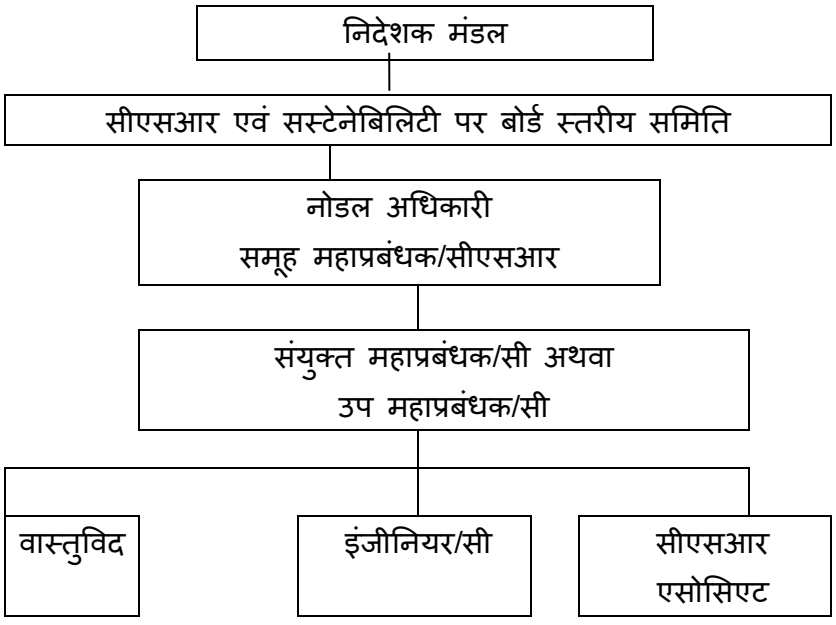

3.4 नोडल अधिकारी के रूप में समूह महाप्रबंधक/ सीएसआर के तहत सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल कार्य करेगा. सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल की गतिविधियों में शामिल होगा:

3.4.1 स्टेकहोल्डरों (आंतरिक और बाहरी दोनों) का निर्धारण तथा विशेष रूप से वंचितों/वंचित वर्गों के समाज /समुदाय की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए उनका सहयोग लेना.

3.4.2 स्पष्ट स्वामित्व/मेंटरशिप के साथ समाज की जरूरतों को सार्थक सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं में परिवर्तित करना तथा निर्माण के उपरांत अनुरक्षण की व्यवस्था करना.

3.4.3 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) की क्षमताओं के आकलन सहित परियोजना मूल्यांकन तथा समीक्षा.

3.4.4 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति का कार्यान्वयन.

3.4.5 परियोजना निष्पादन/प्रगति के समुचित निष्पादन तथा/अथवा मानीटरिंग के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति का मार्गदर्शन प्राप्त करना, तथा

3.4.6 बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति को नियमित रूप से रिपोर्ट करना.

3.4.7 प्रभाव आकलन

3.4.8 कोई अन्य संबंधित गतिविधियां.

3.5 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल के विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेवारियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

3.5.1 नोडल अधिकारी (समूह महाप्रबंधक/सीएसआर): राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण समन्वय तथा निगरानी तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति को प्रगति/कार्यनिष्पादन की नियमित रिपोर्टिंग.

3.5.2 संयुक्त महाप्रबंधक/सी अथवा उप महाप्रबंधक/सीः

3.5.2.1 स्टेकहोल्डरों (आंतरिक एवं बाहरी दोनों) का निर्धारण तथा विशेष रूप वंचितों/आम वर्गों के समाज/समुदाय की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सार्थक संपर्क.

3.5.2.2 स्पष्ट स्वामित्व/मेंटरशिप के साथ समाज की जरूरतों को सार्थक सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं में परिवर्तित करना तथा निर्माण के उपरांत अनुरक्षण की व्यवस्था करना.

3.5.2.3 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) की क्षमताओं के आकलन सहित परियोजना मूल्यांकन तथा समीक्षा.

3.5.2.4 उपयोग प्रमाण पत्र तथा आंतरिक/बाहरी एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षा/मूल्यांकन सहित निधियों का संवितरण एवं लेखाकरण.

3.5.2.5 कोई अन्य संबंधित गतिविधियां.

3.5.3 वास्तुविदः

3.5.3.1 परियोजना की प्रगति पर नियमित अपडेट के लिए विभिन्न आंतरिक स्टेकहोल्डरों/एसबीयू/प्रभागों के साथ समन्वय.

3.5.3.2 बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति द्वारा अपेक्षित कार्यसूची, कार्यवृत्त एवं अन्य सूचना/आंकड़े.

3.5.3.3 बोर्ड स्तरीय समिति के निर्देशों की समीक्षा/मूल्यांकन करने तथा कार्यान्वयन में नोडल अधिकारी की सहायता करना.

3.5.3.4 कोई अन्य संबंधित गतिविधि.

3.5.4 इंजीनियर/सी

3.5.4.1 वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए परियोजना स्थलों का निरीक्षण.

3.5.4.2 माप तथा गुणवत्ता नियंत्रण.

3.5.4.3 परियोजना प्रगति की समुचित मॉनीटरिंग के लिए संयुक्त महाप्रबंधक/सी एवं/अथवा उप महाप्रबंधक/सी की सहायता करना.

3.5.4.4 कोई अन्य संबंधित गतिविधि.

3.5.5 सीएसआर एसोसिएट

3.5.5.1 कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी की गतिविधियों के लिए एमआईएस

3.5.5.2 आंकड़ों के समेकन एवं विश्लेषण के लिए संयुक्त महाप्रबंधक/सी एवं/अथवा उप महाप्रबंधक/सी की सहायता करना.

3.5.5.3 कोई अन्य संबंधित गतिविधि.

3.6 कंपनी या अन्य एनजीओ, जिला/स्थानीय प्रशासन अथवा समान संगठनों द्वारा लगन, आवश्यकता आकलन अथवा बेसलाइन सर्वे करने के बाद सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी. परियोजनाओं के चयन के लिए, क्षेत्रीय परियोजना/निरीक्षण कार्यालय(यों) के संबंधित महाप्रबंधक/समूह महाप्रबंधक तथा अन्य एसबीयू/प्रभागीय प्रमुखों की सहायता ली जाएगी, तथापि, परियोजनाओं की सूची का अंतिम समेकन सर्वोच्च प्रबंधन के परामर्श से कारपोरेट स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

3.7 बोर्ड स्तरीय समिति कंपनी के सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को लेने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा रणनीतियों के सूत्रपात में निदेशक मंडल को सहायता करेगी तथा सुनिश्चित करेगीः

- कि संगठन निगमित शासन के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नैतिक तरीके से पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ अपना कारोबार संचालित करता है.
- संरक्षा, सुरक्षा, पेशेवर समृद्धि तथा स्वस्थ कार्य परिस्थितियों के संबंध में कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करते हुए कर्मचारियों का कल्याण.
- क्षमता निर्माण तथा गरीब एवं वंचित वर्गों/समुदायों के सशक्तिकरण द्वारा समाज में समावेशी विकास तथा समान विकास.
- कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी की गतिविधियों के लिए वार्षिक योजनाओं एवं बजट का अनुमोदन.

3.8 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष की भूमिका निम्नानुसार होगीः

- संगठन के अंदर आंतरिक एवं बाहरी स्टेकहोल्डरों को भी शामिल करते हुए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी की गतिविधियों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखना.
- कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी के अनुरूप सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करना.

- सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के चयन, कार्यान्वयन, कार्य निष्पादन/प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न प्रभागों एवं एसबीयू के बीच समन्वय.

- आवश्यकताओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के निर्धारण के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों (आंतरिक एवं बाहरी दोनों) के साथ विचार-विमर्श.

- बोर्ड स्तरीय समिति को विभिन्न सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों की प्रगति/कार्य निष्पादन की रिपोर्टिंग.

- पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी तथा समुदाय सहभागिता के मामलों में कर्मचारियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें संगठन के एजेंडा के निर्धारण में शामिल करना.

- कोष के उपयोग के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों पर व्यय को नियंत्रित एवं विनियमित करना.

- सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, प्रभाव आकलन, विभिन्न गतिविधियों की प्रचार सामग्रियों तथा प्रचार प्रलेखों के मुद्रण सहित प्रचार गतिविधियां तथा नियमित रिपोर्टों की प्रस्तुति.

4. वित्तीय बजट तथा व्यय नियंत्रण

4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार उन कंपनियों पर सीएसआर लागू है जिनका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान

- रूपये 500 करोड़ या अधिक का निवल मूल्य, अथवा
- रूपये 1000 करोड़ या अधिक का टर्नओवर, अथवा
- रूपये 5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ है

4.2 01 अप्रैल, 2014 से, निर्धारित सीएसआर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथवा उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत है. यदि कंपनी उक्त राशि खर्च करने में विफल रहती है तो उसे अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न होने के कारणों का उल्लेख करना होगा. औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुरूप करनी होगी.

4.3 शुद्ध लाभ से तात्पर्य अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए इसके वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

4.3.1 कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से प्राप्त कोई लाभ, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में परिचालित है अथवा किसी अन्य रूप में, तथा

4.3.2 भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा के अनुरूप शामिल हैः
आगे बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत शामिल विदेशी कंपनी के मामले में, शुद्ध लाभ से तात्पर्य अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप धारा (1) के खंड (क) के तहत तैयार लाभ एवं हानि खातों के रूप में ऐसी कंपनियों का शुद्ध लाभ है.

4.4 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, 01 अप्रैल, 2014 से सीएसआर व्यय में सीएसआर समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए, कोष में अंशदान सहित सभी व्यय शामिल हैं, लेकिन इसमें उस मद पर कोई व्यय शामिल नहीं है जो गतिविधियों के अनुरूप नहीं है, जो अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आती हैं.

4.5 बेसलाइन सर्वे/आवश्यक आकलन अध्ययन, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों, कांफ्रेंसों आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर, कंपनी के सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों, चाहे आंतरिक अथवा बाहरी,

की सहभागिता के लिए कारपोरेट संचार एवं नीतियों पर व्यय को इस परियोजना के लिए आबंटित बजट से सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा.

4.6 वार्षिक बजट का 80 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में गतिविधियों के कार्यान्वयन पर खर्च किया जाएगा. प्रोजेक्ट मोड में कार्यान्वित नहीं की गई गतिविधियों को भी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप करना होगा.

4.7 वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निर्धारित करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

- राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान किए गए राहत कार्य
- मुख्य मंत्री राहत कोष तथा/अथवा एनडीएमए में अंशदान
- निदेशक मंडल, रेल मंत्रालय/डीपीई के अनुमोदन से अन्य बीमार/घाटे में चल रहे संकटग्रस्त सीपीएसई के अस्तित्व तथा आकस्मिक सहायता की आवश्यकता में कर्मचारियों की मानवीय सहायता के लिए प्रदान किया गया अंशदान.

4.8 व्यय को नियंत्रित/व्यवस्थित करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

- राइट्स के तकनीकी/इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा परियोजना आकलनों का सत्यापन.
- परियोजनाओं की वित्तीय संवीक्षा जो एमओयू के लिए विचाराधीन प्रस्तुत है.
- पिछली किश्त के व्यय के लिए केवल लेखांकन के बाद चरणबद्ध किश्तों का भुगतान. विधिवत मूल्यांकन के बाद जारी प्राक्कलनों पर अग्रिम.
- किए गए व्यय को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थलों पर राइट्स अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण.

4.9 सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से प्राप्त बचत कंपनी के कारोबारी लाभ में शामिल नहीं है.

5. सीएसआर गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र

5.1 राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों का निष्पादन दो तरफा कार्यनीति हैः कॉरपोरेट एजेंडा का हिस्सा बनाते हुए राइट्स के कर्मचारियों के बीच सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहलों को आंतरिक रूप से करना तथा बाहरी क्षेत्रों में पहल मुख्यतः विभिन्न परियोजनाओं/सेमीनारों/कांफ्रेसों/ बैठकों आदि के रूप में हैं.

5.2 राइट्स का प्राथमिक ध्यान आवश्यक अवसरंचना के सृजन पर है तथा रोजगार के अवसर पैदा करना तथा लोगों के सशक्तिकरण के लिए आय उत्पत्ति एवं आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना तथा कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों में तथा उसके आसपास और पिछड़े क्षेत्रों में समाज के उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के सतत विकास को सुगम बनाने पर है. ये अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां बाद में स्थानीय समुदाय/एनजीओ/ एसएचजी द्वारा दिन प्रतिदिन के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए ली जा सकती हैं.

5.3 सीएसआर गतिविधियां:

5.3.1 सीएसआर गतिविधियां कारोबार के अपने सामान्य प्रक्रिया में की गई गतिविधियों को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों (नई अथवा चालू) के रूप में इसकी निर्धारित सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी द्वारा की जाती हैं.

5.3.2 अधिनियम की धारा 8 अथवा अन्यथा के अंतर्गत कंपनी या इसकी होल्डिंग या सहायक या एसोसिएट कंपनी द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी या कंपनी के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर गतिविधियों को लेने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल निर्णय ले सकता हैः
बशर्ते कि -

- यदि कंपनी या इसकी होल्डिंग या सहायक या एसोसिएट कंपनी द्वारा ऐसा कोई ट्रस्ट या सोसायटी या कंपनी नहीं बनाई गई है, तो इसके पास इसी प्रकार के कार्यक्रमों या परियोजनाओं को हाथ में लेने का तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए;

- कंपनी ने इन संस्थाओं के माध्यम से ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर निधि के प्रयोग की कार्यविधि तथा मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग तंत्र को निर्दिष्ट किया हो.

5.3.3 कंपनी अन्य कंपनियों के साथ इस तरीके से परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को लेने के लिए सहयोग भी कर सकती हैं कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इस स्थिति में हों कि वे इन नियमों के अनुरूप ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट कर सकें.

5.3.4 अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, केवल भारत में ली गई सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों पर ही सीएसआर व्यय किया जा सकता है.

5.3.5 अधिनियम की धारा 135 के अनुरूप ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को, जिससे केवल कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवारों को लाभ होता हो, सीएसआर गतिविधि के रूप में विचार नहीं किया जाएगा.

5.3.6 कंपनियां अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ – साथ कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकार्ड वाले संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित एजेंसियों के कार्मिकों से सीएसआर क्षमताएं बना सकती हैं, लेकिन ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.

5.3.7 अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनैतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान को सीएसआर गतिविधि के रूप मे नहीं माना जाएगा.

5.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, कंपनियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां करना अपेक्षित हैः

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वच्छता की प्रोन्नति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता एवं सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना.

(ii) विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग तथा जीविका वृद्धि परियोजनाओं में व्यावसायिक कौशल बढ़ाते हुए विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना.

(iii) लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं तथा अनाथों के लिए आवास एवं होस्टलों की स्थापना, वृद्धाश्रम की स्थापना, डे केयर केंद्र तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे समूहों की असमानता को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना.

(iv) पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, इकॉलॉजिकल संतुलन, वनस्पति एवं जीव की रक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान सहित मिट्टी, वायु एवं पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना.

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति सहित इमारतों की मरम्मत तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तथा कला कार्यों का संरक्षण, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास.

(vi) सशस्त्र बलों के सैनिकों, युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय.

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालम्पिक स्पोर्ट्स एवं ओलम्पिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण.

(viii) सामाजिक - आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए राहत एवं कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोष में अंशदान. बजटीय संसाधनों , लाभ अथवा पीएसयू के तुलन पत्रों से शेष प्रवाहित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान स्वीकार्य नहीं है.

(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अकादमिक संस्थानों के अंदर स्थित टेक्नॉलौजी संसाधनों को उपलब्ध कराए गए अंशदान या कोष

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं

(xi) स्लम एरिया विकास

6. परियोजनाओं एवं निष्पादन एजेंसियों के चयन के लिए दिशानिर्देश

6.1 परियोजनाओं का स्थान

6.1.1 उन सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कंपनी के कार्यालयों/ परिचालनों में तथा इसके आस-पास स्थित हो ताकि अपने वाणिज्यिक परिचालनों द्वारा निकटतम प्रभावित लोगों, पर्यावरण एवं स्टेकहोल्डरों के साथ जुड़ा जा सके. इसके अलावा, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाने तथा परियोजनाओं की प्रगति/कार्यनिष्पादन पर नियमित निगरानी करने के लिए आसानी होती है. **सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के उद्देश्य के लिए जिन राज्यों में कंपनी के कार्यालय/संचालन स्थित हैं, उन्हें स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा.**

6.1.2 तथापि, कम से कम एक सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजना पिछड़े जिलों से चुननी चाहिए. यहां पिछड़े जिले से तात्पर्य उस जिले से है, जिसकी योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अपनी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) योजना के लिए पहचान की गई है.

6.2 परियोजनाओं की संख्या

6.2.1 यद्यपि डीपीई दिशानिर्देशों में एमओयू में दो परियोजनाओं (एक पिछड़े जिले तथा एक पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के लिए) का प्रावधान है, कंपनी सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी एजेंडा के लिए अपनी वार्षिक योजना में पर्याप्त संख्या में परियोजनाएं ले सकती है. इनमें से कुछ परियोजनाएं पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी से तथा अन्य सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों से होंगी. तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर, ड्रॉफ्ट एमओयू में अधिक परियोजनाएं ली जा सकती हैं, ताकि स्टेकहोल्डर(रों) की वचनबद्धता / वित्तीय व्यय की एमओयू आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके.

6.3 परियोजनाओ के चयन के लिए मापदंड

6.3.1 जैसा पिछले अध्याय मे दिया गया है, कंपनी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजना होनी चाहिए. परियोजना प्रस्ताव में निम्नलिखित के लिए जांच की जाएगीः

6.3.1.1 कुल परियोजना लागत तथा वर्ष के दौरान पूरे किए गए मील के पत्थर पर वार्षिक व्यय.

6.3.1.2 परियोजना का औचित्य सिद्ध करते हुए लक्षित लाभार्थियों तथा समर्थित जमीनी स्तर का डाटा (प्राथमिक, माध्यमिक और/या तृतीयक).

6.3.1.3 परियोजना की व्यवहार्यता.

6.3.1.4 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रारंभिक निर्माण/सृजन तथा परियोजना के अनुवर्ती अनुरक्षण एवं परिचालन के लिए निधि व्यवस्था.

6.3.1.5 स्पष्ट मील के पत्थर जिसके द्वारा परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को मॉनीटर किया जा सकता है.

6.4 क्रियान्वित एजेंसी के चयन के लिए मापदंड

6.4.1 कार्यान्वित एजेंसी/संगठन को राज्य सरकार/ जिला प्रशासन/ आयकर/ सेवाकर या किसी अन्य प्रासंगिक सरकारी विभाग से पंजीकृत कानूनी मान्यता प्राप्त संगठन होना चाहिए.

6.4.2 एजेंसी/संगठन के अनुभव प्रोफाइल में समान प्रकृति/मूल्य की परियोजनाओं के निष्पादन में समान अनुभव का उल्लेख होना चाहिए. (पिछले 3 वर्षों में उनके स्वयं के नाम पर एजेंसी द्वारा निष्पादित अनुमानित मूल्य की कम से कम एक परियोजना)

6.4.3 फर्म के वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा केंद्र/ राज्य सरकारों/ इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया या आईसीडब्ल्यूएआई द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेट्स/ अधिकृत अकाउंटेंट्स द्वारा होनी चाहिए.

6.4.4 फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता.

6.4.5 एजेंसी/संगठन में तकनीकी विशेषज्ञता/विशेषज्ञों की उपलब्धता

6.4.6 केंद्रीय/राज्य पीएसयू/सरकारी विभागों द्वारा विधिवत सत्यापित एजेंसी/संगठन का प्रत्यय पत्र.

6.4.7 राइट्स एवं अन्य पीएसयू के साथ एजेंसी/संगठन का पिछला अनुभव.

7. सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कार्यान्वयन एवं नियंत्रण

7.1 एक बार प्रासंगिक वर्ष के लिए एमओयू में परियोजना अनुमोदित हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय के वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी. वित्तीय स्वीकृति के मामले को आगे बढ़ाते समय सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष को निम्नलिखित सुनिश्चित कराना होगाः

(i) भूमि की उपलब्धता, उसके स्वामित्व तथा बाधा, यदि कोई हो, जिसके कारण परियोजना अनुसूची में विलंब हो सकता हो, सहित परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन.

(ii) परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन,विशेष रूप से लागत अनुमान एवं निधि व्यवस्था.

(iii) परियोजना के मील के पत्थर पर स्पष्टता तथा उनका मापन, विशेष रूप से राज्य/केंद्रीय सरकारी विभागों से योजना/ डिजाइन/ लेआउट्स के लिए अनापत्ति.

(iv) टाइम चार्ट/परियोजना अनुसूची तथा प्रत्येक चरण में निधि आवश्यकताएं.

(v) भुगतान शर्तों तथा भौतिक प्रगति के साथ इसकी संबद्धता तथा अन्य पार्टियों से शेयर का योगदान, यदि कोई हो.

(vi) निष्पादन एजेंसी/ संगठन के साथ ड्राफ्ट एमओयू जिसमें एजेंसी, राइट्स एवं किसी अन्य पार्टी की भूमिका और जिम्मेवारियों का विवरण हो.

(vii) परियोजना प्रलेखन.

7.2 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष द्वारा निष्पादन एजेंसी/ संगठन को स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों पार्टियों की वचनबद्धताओं एवं स्वीकृति पत्र के 30 दिनों के अंदर ड्राफ्ट एमओयू को अंतिम रूप देने का उल्लेख होता है. निष्पादन एजेंसी/संगठन परियोजना के विभिन्न चरणों पर निधि को जारी करने की मांग कर सकते हैं जिसका स्वीकृति पत्र में उल्लेख है. मांग की निम्नलिखित के लिए छानबीन की जाएगीः

(i) इसकी सटीकता और शुद्धता

(ii) स्वीकृति पत्र/एमओयू में शर्तों का अनुपालन

(iii) पिछली जारी निधि, यदि कोई हो, के उपयोग का प्रमाण-पत्र

(iv) फोटोग्राफ, स्थल निरीक्षण, तथा सामग्री/ठेकेदार के बिलों आदि के माध्यम से सत्यापित भौतिक प्रगति.

(v) कोई अन्य प्रासंगिक आवश्यकता/पैरामीटर/दस्तावेज/साक्ष्य.

7.2.1 परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए निष्पादन संकेतकों को अनुलग्नक-III में दर्शाया गया है.

7.3 परियोजना प्रगति की निगरानी (मॉनीटरिंग):

7.3.1 निष्पादन एजेंसी / संगठन स्वीकृति पत्र के अनुसार परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष आवधिक साइट निरीक्षण/ एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से परियोजना निष्पादन / प्रगति को मॉनीटर करेंगे. साइट निरीक्षण के बाद, निरीक्षण रिपोर्ट सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी. किसी भी मामले में, तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पर बोर्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी.

7.3.2 बोर्ड स्तरीय समिति का अध्यक्ष छमाही आधार पर निदेशक मंडल को कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों की प्रगति / निष्पादन से अवगत कराएगा.

7.4 स्वतंत्र बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा मूल्यांकन

7.4.1 सामान्य रूप से परियोजना की निगरानी सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी सेल से या अन्य एसबीयू / डिवीजनों से राइट्स के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अनुसार परियोजना प्रगति सुनिश्चित हो और निर्माण के दौरान और निर्माण और बाद के रखरखाव के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि राइट्स की परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता है, इसलिए निगरानी राइट्स के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी. हालांकि, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं लक्षित लाभार्थियों को इसके लाभों के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया जा सकता है.

8. प्रभाव आकलन और लाभार्थियों से फीडबैक

8.1 सफलता की मात्रा का निर्धारण करने और कंपनी के सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल की प्रभावशीलता के लिए परियोजना के पूरा होने तथा आवश्यक न्यूनतम अवधि (प्रभाव महसूस की अवधि) समाप्त होने के बाद एक प्रभाव आकलन किया जाएगा. लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के तहत सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजना के प्रभाव का आकलन किया जाएगा. तथा, 2.0 करोड़ रुपये (दो करोड़ रुपये) तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है.

8.2 सभी सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं/गतिविधियों को समाज और पर्यावरण पर प्रत्याशित प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है. इन धारणाओं और प्रभावी उम्मीदों के आलोक में सफलता या विफलता की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी की गई गतिविधि/परियोजना को मापना चाहिए. प्रभाव आकलन न केवल कार्यान्वयन में प्रगति के विभिन्न चरणों में निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्यों की उपलब्धि के उत्पाद या परिणामों से संबंधित है, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण को प्रभावित कर विकासात्मक प्रक्रिया पर इन परिणाम (मों) का संचयी प्रभाव है.

8.3 बेसलाइन सर्वे अथवा आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन के पूर्व डाटा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से सर्वे किया जाता है. साइट दौरे के दौरान स्टेकहोल्डरों का साक्षात्कार लिया जाता है तथा उनके सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक कल्याण में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाता है.

8.4 राइट्स सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष के अपने स्टाफ द्वारा या बाहरी एजेंसी की सहायता से सर्वे किया जाएगा. आवश्यक आकलन अध्ययन के दौरान ध्यान में लाई गई आवश्यकताओं तथा प्रस्तावित लाभ तथा प्रभाव को जमीनी स्तर की परिस्थितियों एवं स्टेकहोल्डरों द्वारा देखे/महसूस किए गए लाभकारी प्रभाव को सत्यापित किया जाता है.

8.5 सर्वेक्षण के माध्यम से साइट यात्राओं के दौरान स्थानीय समुदाय, स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया, उनसे वार्तालाप तथा दिन-प्रतिदिन के परिचालन में उनकी भागीदारी तथा

आगे विकासात्मक जरूरतें आकलन में शामिल हैं. यह पाया गया है कि प्रभावी आकलन प्रकृति में गुणात्मक होगा तथा प्राप्त लाभ की सही मात्रा का पता लगाना मुश्किल हो सकता है. प्रभावी आकलन के लिए चयनित नमूना आकार आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा तथा इसमें यथासंभव स्थानीय/जिला प्रशासन, एनजीओ, एसएचजी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्थानीय पार्षद तथा युवा और वृद्ध, पुरूषों और महिलाओं, लड़के और लड़कियों दोनों के स्थानीय समुदाय के और अन्य सदस्य शामिल होंगे.

8.6 प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट में निम्न लिखित शामिल होंगे:

(i) सर्वे किए गए व्यक्ति का नाम/ परिवार पता और संपर्क विवरण
(ii) मापदंड जिस पर प्रभाव आकलन आधारित है
(iii) तब और अब की स्थिति
(iv) तारीख और स्थान के साथ सामूहिक बैठक/समुदाय कार्य के फोटोग्राफ
(v) सुधार के फोटोग्राफिक या कथात्मक वर्णन
(vi) सर्वे टीम के सदस्यों का विवरण और सर्वे में उनकी भूमिका
(vii) नई पहल के बारे में संक्षिप्त सारांश जो आगे किए जा सकते हैं

8.7 नोडल अधिकारी द्वारा कमियों के लिए, यदि कोई हो, की छानबीन, विश्लेषण किया जाएगा तथा मुख्य विशेषताओं को बोर्ड स्तरीय समिति के ध्यान में लाया जाएगा. रिपोर्ट कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल में आगे सुधार के लिए एक आधार बनेगी.

9. कार्य-निष्पादन की रिपोर्टिंग

9.1 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/एजेंडा के निष्पादन की परियोजना मील के पत्थर, तथा वित्तीय व्यय तथा किए गए कार्य की भौतिक प्रगति/गुणवत्ता के तहत नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी.

9.2 निष्पादन एजेंसी/संगठन सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष को सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो देरी के लिए, यदि कोई है, निधि का उचित उपयोग के लिए रिपोर्ट की समीक्षा करेगी तथा मील के पत्थर की तुलना में प्रगति तथा स्वीकृत अनुमानित बजट का मॉनीटर करेंगे.

9.3 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कक्ष साइट के दौरों, स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत तथा दस्तावेजी सबूत के माध्यम से सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं/गतिविधियों के निष्पादन की नियमित मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग में भी शामिल होगा.

9.4 आंतरिक कार्यक्रमों के साथ ही बाहरी परियोजनाओं/गतिविधियों को शामिल करते हुए कंपनी की सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल की प्रगति में मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्ट को नोडल अधिकारी द्वारा बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

9.5 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल की छमाही प्रगति रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी.

9.6 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी नीति और संबंधित सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड और नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा.

9.7 सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहल को कंपनी के शेयरधारकों और विशाल समाज के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा.

9.8 मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट **अनुलग्नक -I** पर है.

9.9 सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट **अनुलग्नक -II** पर है. यह 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसार है.

9.10 सीएसआर नीति को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा. यह 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 तथा धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसार है.

10. कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पत्र सं. 05/01/2014-सीएसआर, सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा जारी किया गया हैः

मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 135 तथा कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए स्टेकहोल्डरों से कई संदर्भ तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (इसके बाद 'सीएसआर' के रूप में संदर्भित) पर मंत्रालय में प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है: -

(i) सांविधिक प्रावधान तथा सीएसआर नियम, 2014 के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करना है कि जबकि सीएसआर नीति के अनुसरण में किए गए कार्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII से सम्बद्ध होना चाहिए, उक्त अनुसूची में उल्लिखित विषयों का सार समझने के लिए कथित अनुसूची VII में प्रविष्टियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए. अधिनियम की संशोधित अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदें व्यापक आधार वाली हैं और उदाहरण के रूप में **अनुलग्नक-IV** में व्यापक रूप से उल्लिखित गतिविधियों के एक विस्तृत दायरे को शामिल कर रहे हैं.

(ii) आगे स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआर गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम मोड में कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए. [जैसा कंपनियों के सीएसआर नियम, 2014 के नियम 4(1) में उल्लिखित मैराथन/ पुरस्कार/ धर्मार्थ योगदान/ विज्ञापन/ टीवी कार्यक्रमों आदि के प्रायोजकों के रूप में किए गए कार्य सीएसआर व्यय के भाग के रूप में मान्य नहीं है.

(iii) किसी अधिनियम/विनियमों की संविधि (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) की पूर्ति के लिए कंपनियों द्वारा किए गए खर्च कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर व्यय के रूप में नहीं गिने जाएंगे.

(iv) कंपनियों द्वारा अपने सीएसआर स्टाफ के साथ-साथ कंपनियों के वालंटियरों (सीएसआर पर विशेष रूप से खर्च कंपनी के समय/घंटे के अनुपात में) को दिया गया वेतन को सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में सीएसआर परियोजना लागत में घटक हो सकता है.

(v) कंपनी सीएसआर नियम, 2014 के नियम 3(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) में संदर्भित "किसी वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से कोई है.

(vi) भारत में सीएसआर गतिविधियों के लिए विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए व्यय को भारतीय सहायक कंपनी के सीएसआर व्यय के रूप में माना जाएगा, यदि सीएसआर व्यय भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से किया जाता है, तथा यदि भारतीय सहायक कंपनी को अधिनियम की धारा 135 के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित है.

(vii) 'रजिस्टर्ड ट्रस्ट' (जैसा कंपनी सीएसआर नियम, 2014 के नियम 4(2) में सदंर्भित) में आय कर अधिनियम,1956 के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट शामिल होंगी, उन राज्यों के लिए जहां ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है.

(viii) ट्रस्ट/सोसाइटी धारा 8 की कंपनियों आदि के कोष में योगदान को सीएसआर व्यय के रूप में माना जाएगा जब तक (क) वह ट्रस्ट/सोसाइटी/धारा 8 की कंपनी आदि को सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया हो या (ख) जहां कोष को अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल विषयों से सीधे संबंधित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाया गया है.

*****

11. संदर्भ

1. धारा 135, कंपनी अधिनियम 2013 दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी
2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सस्टेनेबिलिटी पर दिशानिर्देशों को डीपीई द्वारा संशोधित किया गया. (1/4/2013 से प्रभावी)
3. डीपीई कार्यालय ज्ञापन सं. 3(12)/2012-डीपीई(एमओयू) दिनांक 10.01.2013.
4. डीपीई सीएसआर गाइडलाईंस दिनांक 09 अप्रैल, 2010 और आगे का पत्राचार दिनांक 04 फरवरी, 2011, 21 जून, 2011, 01 नवंबर, 2011.
5. डीपीई एसडी गाइडलाईंस दिनांक 23 सितंबर, 2011 और आगे का पत्राचार दिनांक 19 दिसंबर, 2011, 24 फरवरी, 2012.
6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के लिए योजना आयोग द्वारा पिछड़े जिलों की पहचान.
7. यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट सिद्धांत.
8. यूएन मिलेनियम विकास लक्ष्य.
9. बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी गाइडलाईंस.
10. ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल की सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाईंस.
11. जवाबदेही के एए 1000 मानक.
12. आईएसओ 14001 पर्यावरणीय प्रबंधन मानक.
13. सामाजिक जवाबदेही इंटरनेशनल के एसए 8000 मानक.
14. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राइट्स सीएसआर योजना और राइट्स सस्टेनिबिलिटी विकास योजना और उसके संकल्प.
15. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारोबार की सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक जिम्मेदारियों पर नेशनल वालंटरी गाइडलाईंस.

अनुलग्नक-I : मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए फार्मेट

परियोजना श्रेणीःसीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी/आर एवं डी/ मील का पत्थर PROJECT Category: CSR & Sustainability/ R&D/ Milestone	
अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट/ Progress Report for the period: से From तक To	
परियोजना का नाम/ Title of Project:	
प्रारंभ तारीख (महीना एवं वर्ष)/ Start Date (Month & Year):	
कार्यान्वित एजेंसी/ Implementing Agency:	
मॉनीटरिंग एजेंसी/ Monitoring Agency:	
मूल्यांकक एजेंसी /Evaluating Agency:	
परियोजना के लिए स्वीकृत बजट/ Budget sanctioned for the project:	
वास्तविक संचयी व्यय/ Actual Cumulative Expenditure	
आज की तारीख तक लक्ष्य/ Target as on date	वास्तविक/ Actual
निर्धारित समापन तारीख (महीना एवं वर्ष)Scheduled Completion Date (Month & Year):	

क्र.सं. S.No	महत्वपूर्ण मील के पत्थर Important Milestones	प्रारंभ तारीख Start date	लक्ष्य समापन तारीख Target completion date	अनुमानित समापन तारीख Expected completion date	कार्य की स्थिति/ प्रगति Status/ Progress of the work	टिप्पणी Remarks

टिप्पणी, यदि कोई होः Comments, if any:

परियोजना के समन्वयक के हस्ताक्षर Signature of Project Coordinator:
नाम/ Name:
पदनाम/Designation:
तारीख/ Date:

अनुलग्नक–II : सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट

1. प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के विहंगावलोकन तथा सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए एक वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा.
2. सीएसआर समिति की संरचना.
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उक्त मद 3 की राशि का दो प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण.
   (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;
   (ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;
   (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से व्यय की गई राशि, उसका विवरण निम्नानुसार है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या चिह्नित गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया जा रहा था	परियोजना या कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि: उपशीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय. (2) ओवरहैड्स:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वित एजेंसी के माध्यम से
1.							
2.							
3.							
4.							

* कार्यान्वित एजेंसी का विवरण दें:

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि के व्यय नहीं किए जाने का कारण बताए.
7. सीएसआर समिति का दायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुपालन में है.

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

अनुलग्नक- III : निष्पादन संकेतक

प्रत्येक की गई परियोजना/गतिविधि के वास्तविक निष्पादन को मापने के लिए, कार्य निष्पादन संकेतक (संकेतकों) को निर्धारित किया जाए उनको मॉनीटर किया जाए एवं मापन किया जाए.

संकेतक 3 प्रकार के हो सकते हैं:

क. पर्यावरणीय स्थिति संकेतक (परिवेश) (ईसीआई)

पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं ऊर्जा की स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतक

ख. परिचालन निष्पादन संकेतक (ओपीआई)

संकेतक जो प्रभावित करते हैं:

- सामग्री, ऊर्जा एवं सेवाओं के इनपुट
- सुविधाओं तथा उपकरण का डिजाइन, स्थापना, परिचालन एवं अनुरक्षण
- उत्पादों, सेवाओं, अपशिष्ट और उत्सर्जन के आउटपुट (पुनःनवीनीकरण, पुन: उपयोग सामग्री आदि)

ग. प्रबंधन निष्पादन संकेतक (एमपीआई)

संकेतक जोकि आधारित है:

- नीतियों एवं कार्यक्रमों (प्रशिक्षण) का कार्यान्यवन
- संसाधन आंबटन एवं कुशल उपयोग
- वित्तीय निष्पादन (पर्यावरणीय लागत प्रबंधन)
- समुदाय संबंध (पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत)

निष्पादन संकेतक के उदाहरण

- **अपशिष्ट प्रबंधन**
  - **परियोजना का उद्देश्य** : उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को कम करना
  - **ईसीआई:** अपशिष्ट आउटलेट धारा में जहरीले प्रदूषक का निर्माण
  - **एमपीआई:** परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों का प्रतिशत जिसे योजना के अनुसार सफलतापूर्वक प्राप्त किया
  - **ओपीआई:** उत्पाद की प्रति यूनिट उत्पादित खतरनाक कचरे की मात्रा

- **जल प्रबंधन**
  - **परियोजना का उद्देश्य** : जल की खपत को कम करना
  - **ईसीआई:** संयंत्र से वाटर इनलेट प्रदूषण का केंद्रीकरण.

- **एमपीआई:** उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना/गतिविधि के कार्यान्वयन के बाद जल बचत की लागत
- **ओपीआई:** उत्पाद की प्रति यूनिट जल की खपत

- **ऊर्जा प्रबंधन**
  - **परियोजना का उद्देश्य**: ऊर्जा दक्षता बढ़ाना
  - **एमपीआई:** संयंत्र में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
  - **ओपीआई:** ऊर्जा उत्पाद की प्रति यूनिट का वार्षिक उपयोग

- **अक्षय ऊर्जा**
  - **परियोजना का उद्देश्य** : अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना
  - **एमपीआई:** आरई उत्पत्ति परियोजनाओं की स्थापना तथा/या आरईसी के स्वैच्छिक प्रापण के लिए संसाधन का आंबटन
  - **ओपीआई:** आरई या आरईसी से खरीद के माध्यम से अक्षय ऊर्जा से प्रयोग की गई कुल बिजली का प्रतिशत

- **जैवविविधता सरंक्षण**
  - **परियोजना का उद्देश्य** : संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में विशेष पशु प्रजातियों की रक्षा के लिए पहल को लागू करना
  - **ईसीआई:** एक निश्चित क्षेत्र के भीतर विशिष्ट पशु प्रजातियों की आबादी
  - **एमपीआई:** प्राप्त किए गए पहल के लक्ष्यों का प्रतिशत

- **सामग्री एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन**
  - **परियोजना का उद्देश्य** : संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहल को लागू करना
  - **ईसीआई:** मिट्टी में प्रदूषण को केंद्रीकरण
  - **एमपीआई:** प्राप्त किए गए पहल के लक्ष्यों का प्रतिशत

- **सीएसआर एवं सस्टेनिबिलटी कार्यसूची का आंतरीकरण**
  - सीएसआर एवं सस्टेनिबिलटी के माध्यम से शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या - स्तर/ग्रेड
  - सीएसआर एवं सस्टेनिबिलटी एजेंडा के अनुरूप वर्ष के दौरान शुरू उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया/पहल
  - कागज की खपत में कमी, आदि.
  - सीएसआर एवं सस्टेनिबिलटी पहलों के लिए कॉर्पोरेट संचार नीति के निर्माण में कर्मचारियों की भागीदारी.
  - प्रमुख स्टेकहोल्डरों से फीडबैक चैनल की स्थापना

- **रिपोर्टिंग / प्रकटन**

- कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन
- कंपनी की वेबसाइट पर नियमित रूप से सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहलों की सूचना की नियमित अपलोडिंग.

- **निर्माण परियोजनाएं**
  - वास्तविक प्रगति: मील के पत्थर की प्राप्ति
  - वित्तीय निष्पादन : परियोजना पर वास्तविक व्यय बनाम अनुमोदित बजट
  - वित्तीय निष्पादन

- **स्टेकहोल्डरों के साथ प्रशिक्षण/ सेमीनार/ कांफ्रेंस/ कार्यशाला/ नियुक्ति**
  - श्रम दिवस की संख्या
  - बजटीय व्यय बनाम वास्तविक
  - बैठकों/सेमीनारों की संख्या
  - कार्य मदों की संख्या

अनुलग्नक-IV : सीएसआर के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण

जनरल परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक 18.06.2014 के पैरा (i) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	**अतिरिक्त मदों को अनुसूची VII में शामिल करने का अनुरोध या अधिनियम की अनुसूची VII में पहले से ही शामिल को, स्पष्ट किया जाना है.**	**क्या अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन शामिल**
1.	सीएसआर के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार : (i) (क) शिक्षा का प्रचार, "जनता को शिक्षित करना तथा सड़क उपयोग के सभी पहलुओं में सड़क सुरक्षा जागरूकता का प्रचार, (ख) ड्राइवर का प्रशिक्षण, (ग) प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण, (घ)ट्रैफिक इंजीनियरिंग सुरक्षा एवं प्रिंट, ऑडियो तथा दृश्य मीडिया के माध्यम से जागरूकता" को शामिल किया जाना चाहिए. (ii) सामाजिक कारोबार परियोजनाएं : "सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए चिकित्सा और कानूनी सहायता, उपचार " शामिल किया जाना चाहिए	 (क) "शिक्षा प्रचार" के अधीन अनुसूची VII (ii). (ख) ड्राइवरों का प्रशिक्षण आदि के लिए अनुसूची VII (ii) "व्यावसायिक कौशल" के अधीन. (ग) यह सरकार का स्थापना कार्य है (शामिल नहीं किया जा सकता) (घ) "शिक्षा का प्रचार" के अधीन अनुसूची VII (ii) 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल के प्रचार के अधीन अनुसूची VII (i).
2.	**दिव्यांग** व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरणों के लिए प्रावधान - शामिल करने के लिए अनुरोध	'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल के प्रचार के अधीन अनुसूची VII (i).

3.	कंपनी नासिक में एआरटीआईआईसी (एप्लाइड रिसर्च ट्रेनिंग और नवाचार केंद्र) की स्थापना पर विचार कर रही है. केंद्र में मुख्यतः ग्रामीण कृषक समुदाय के लाभ के लिए सीएसआर पहल के रूप में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा: (क) सर्वोत्तम सतत फार्म प्रबंधन प्रचलनों को शामिल करते हुए किसानों में क्षमता का निर्माण (ख) कौशल विकास पर कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण. (ग) जल प्रबंधन पर केंद्रित (अप्लायड रिसर्च) अनुकूलतम अधिकांश लागत परिस्थितियों तथा एग्री - इकॉलॉजिकल सतत फार्म प्रचलनों का पता लगाने के लिए अलग अलग फसलों के लिए क्षेत्र में अनुसंधान करना. (घ) मृदा संरक्षण की दृष्टि से उत्पाद जीवन चक्र विश्लेषण करने के लिए.	"शिक्षा के प्रचार" तथा "व्यावसायिक कौशल" एवं "ग्रामीण विकास" के शीर्षक के अधीन अनुसूची VII की मद सं. (ii) (क) “व्यावसायिक कौशल” जीविका विकास परियोजनाएं. (ख) “व्यावसायिक कौशल” (ग) ‘जैव विविधता संतुलन’, ‘मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना (घ) “प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण” एवं 'मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना'
4.	सीएसआर के तहत "उपभोक्ता संरक्षण सेवा" को योग्य बनाने के लिए (डॉ वी.जी. पटेल, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त संदर्भ). (i) प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना. (ii) उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, स्थायी उपभोग, उपभोग सेवा, समर्थन एवं शिकायतन निवारण की सुरक्षा. (iii) उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियां. (iv) उपभोक्ता अधिकार अनिवार्य करना. (v) ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि के अनुरूप सभी उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम एवं गतिविधियां.	"शिक्षा के प्रचार" अनुसूची VII (ii) के अधीन ग्राहक शिक्षा एवं जागरूकता शामिल की जा सकती है.

5	क) आईआईएम(ए) को भवन एवं कक्षाओं के मरम्मत के लिए दिए गए अनुदान को "शिक्षा के प्रचार" के रूप में मान्य है. अत: कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अनुपालन के लिए पात्र है. ख) आईआईएमए को भवन एवं कक्षाओं के मरम्मत के लिए दिया गया अनुदान " भवनों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की पुनर्स्थापना सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति के संरक्षण" के रूप में मान्य है. अत: कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए अनुपालन के लिए पात्र है.	विद्यालय भवन एवं कक्षा-भवन का सरंक्षण एवं मरम्मत "शिक्षा के प्रचार" के रूप में अनुसूची VII के अधीन सीएसआर गतिविधियों से संबंधित है.
6	गैर शैक्षणिक टेक्नोपार्क टीबीआई, शैक्षणिक संस्था के भीतर स्थित नहीं है, परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित एवं समर्थित है.	"शिक्षा के प्रचार" अधीन अनुसूची VII (ii) यदि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित हो.
7.	आपदा प्रबंधन	आपदा राहत में व्यापक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें उपयुक्त रूप से अनुसूची VII में सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है. उदाहरण के लिए (i) चिकित्सा सहायता को 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य का प्रचार' के अधीन शामिल किया जा सकता है. (ii) खाद्य आपूर्ति को भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन के अधीन शामिल किया जा सकता है. (iii) स्वच्छ जल आपूर्ति को 'सुरक्षित पेय जल की स्वच्छता एवं उपलब्ध कराना' के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है.
8.	सड़क दुर्घटनाओं के मामले में राजमार्गों के आसपास के ट्रॉमा केयर.	'स्वास्थ्य देखभाल' के अधीन.

9.	"ग्रामीण विकास परियोजनाओं" पर स्पष्टता.	कोई भी परियोजना जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित हो इसके अधीन शामिल होगी.
10.	कॉरपोरेट द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील में अतिरिक्त पोषण द्वारा पूर्ति करना, अनुसूची VII के अधीन अर्हक है.	हां. 'गरीबी एवं कुपोषण' के अधीन अनुसूची VII, मद सं.(i)
11.	अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं अध्ययन.	हां, अनुसूची VII में निर्धारित मदों के संबंधित क्षेत्रो के अधीन. अन्यथा 'शिक्षा के प्रचार' के अधीन.
12.	सरकारी अधिकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण- पीपीपी एवं शहरी अवसरंचना दोनो क्षेत्रो में.	नहीं
13.	सस्टेनेबल शहरी विकास एवं शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली.	शामिल नहीं.
14.	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आसानी से पहुंच या सेवा में सुधार को "निवारक स्वास्थ्य देखभाल" अथवा " सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को कम करना" शीर्षक के अधीन विचार किया जाएगा ?	संदर्भ के आधार पर "निवारक स्वास्थ्य देखभाल" अथवा " सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को कम करना" शीर्षकों के अधीन शामिल किया जा सकता है.
15.	इसी प्रकार, स्लम पुर्नविकास या ईडब्ल्यूएस आवास का "सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को कम करना" इसके अधीन शामिल किया जा सकता है?	हां
16.	अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं	'पर्यावरणीय सस्टेनेबिलटी, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण' के अधीन

17.	(i) क्या अनुसूची VII में उल्लिखित पहल व्यापक है? (ii) यदि अनुसूची VII में निर्दिष्ट लाभकर्ता के लिए कंपनी पहल करना चाहती है, परंतु कार्य का उल्लेख अनुसूची VII में नहीं हो, तो क्या इसे गिना जाएगा (अंतिम नियम के 2 (ग) (ii) अनुसार, इनकी गणना की जाएगी)?	(i) और (ii) अनुसूची VII की उदारता से व्याख्या की जाए ताकि अनुसूची में उल्लिखित विषयों का सार समझा जा सके.
18.	यूएस-इंडिया फिजिशियंस एक्सचेंज कार्यक्रम- मोटे तौर पर, यह वह कार्यक्रम है जो भारत और अमेरिका के बीच फिजिशियनों का व्यावसायिक आदान प्रदान कराता है.	नहीं

****